न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

अपील डिक्री / टीए / 2003 / 2020 / चित्तौड़गढ़

रघुनाथ सिंह पिता भूरसिंह राजपूत निवासी लालास तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1– श्री शम्भूसिंह पिता भूर सिंह राजपूत निवासी लालास तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
2– श्री नारायण सिंह पिता गोवर्धनसिंह राजपूत निवासी लालास।
3– मु0 मगन कुंवर बेवा गोवर्धनसिंह राजपूत निवासी लालास तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
4– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, गंगरार।

–रेस्पोडेण्ट्स

खण्डपीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
डॉ. श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः–

1. श्री के. के. पुरोहित, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री अजीत लोढ़ा, अभिभाषक रेस्पोडेंट्स।

निर्णय

दिनांक– 13–11–2024

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत् राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपील संख्या 136 / 2002 में पारित निर्णय दिनांक 28–2–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ के समक्ष एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा खातेदारी एवं बंटवारा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 53

के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लालास में स्थित आराजी खसरा नंबर 1026 रकबा 4.65, खसरा नंबर 1095 रकबा 0.12, खसरा नंबर 1096 रकबा 0.38, खसरा नंबर 1097 रकबा 0.45, खसरा नंबर 1099 रकबा 0.13, खसरा नंबर 1100 रकबा 0.04, खसरा नंबर 1102 रकबा 0.68, खसरा नंबर 1103 रकबा 0.69, खसरा नंबर 1111 रकबा 0.35, खसरा नंबर 1112 रकबा 0.04, खसरा नंबर 1118 रकबा 0. 06, खसरा नंबर 1119 रकबा 0.09, खसरा नंबर 1120 रकबा 0.04, खसरा नंबर 1176 रकबा 0.35, खसरा नंबर 1177 रकबा 0.32, खसरा नंबर 1178 रकबा 0.22, खसरा नंबर 1179 रकबा 0.04, खसरा नंबर 1180 रकबा 0.02, खसरा नंबर 1183 रकबा 0.16, खसरा नंबर 1184 रकबा 0.22, खसरा नंबर 1185 रकबा 0.35, खसरा नंबर 1186 रकबा 0.34, खसरा नंबर 1214 रकबा 0.03 कुल किता 23 कुल रकबा 9.77 हेक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 व 3 के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। ग्राम पिपल्या कला में आराजी खसरा नंबर 149 रकबा 1.65 हेक्टेयर स्थित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता श्री भूरसिंहजी ने अपने जीवनकाल में 35 वर्ष पूर्व अपने बच्चों में बंटवारा कर दिया, उसी माफिक काबिज हैं। परन्तु राजस्व रिकार्ड में शामलाती है एवं पिपल्या कला की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चली आ रही है। मौजा लालास की आराजीयात का मौखिक बंटवारे से वादी खसरा नंबर 1026 / 1 रकबा 1.55, खसरा नंबर 1096 रकबा 0.38, खसरा नंबर 1095 रकबा 0.12, खसरा नंबर 1102 / 1 रकबा 0.34, खसरा नंबर 1103 / 1 रकबा 0.34, खसरा नंबर 1111 / 1 रकबा 0.18, खसरा नंबर 1112 / 1 रकबा 0.02, खसरा नंबर 1118 / 1 रकबा 0.03, खसरा नंबर 1119 / 1 रकबा 0.05, खसरा नंबर 1120 / 1 रकबा 0.02, खसरा नंबर 1179 / 1, 1180 / 1 रकबा 0.02, खसरा नंबर 1185 रकबा 0.35, खसरा नंबर 1214 / 1 रकबा 0.01 कुल किता 14 कुल रकबा 3.41 हेक्टेयर पर वादी काबिज है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 मौखिक बंटवारे के आधार पर खसरा नंबर 1026 / 2 रकबा 1.55, खसरा नंबर 1176 रकबा 0.35, खसरा नंबर 1177 रकबा 0.32, खसरा नंबर 1178 रकबा 0.22, खसरा नंबर 1179 / 2, 1180 / 2 रकबा 0.02, खसरा नंबर 1183 रकबा 0.16, खसरा नंबर 1184 रकबा 0.22, खसरा नंबर 1214 / 2 रकबा 0.01 कुल किता 8 रकबा 2.85 हेक्टेयर पर काबिज है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 मौखिक बंटवारे के आधार पर खसरा नंबर 1026 / 3 रकबा 1.55, खसरा नंबर 1097 रकबा 0.45, खसरा नंबर 1099 रकबा 0.13, खसरा नंबर 1100 रकबा 0.04, खसरा नंबर 1102 / 2 रकबा 0.34, खसरा नंबर 1103 / 2 रकबा 0.35, खसरा नंबर 1111 / 2 रकबा 0.17, खसरा नंबर 1112 / 2 रकबा 0.02, खसरा नंबर 1118 / 2 रकबा 0.03,

खसरा नंबर 1119 / 2 रकबा 0.04, खसरा नंबर 1179 / 3, 1180 / 3 रकबा 0.02, खसरा नंबर 1186 रकबा 0.34, खसरा नंबर 1214 / 3 रकबा 0.01 कुल किता 14 कुल रकबा 3.51 हेक्टेयर पर काबिज है। ग्राम पिपल्या कला की आराजी खसरा नंबर 149 रकबा 1.65 हेक्टेयर स्थित है, उसका मौखिक बंटवारा पक्षकारान के मध्य निम्न है–वादी के आराजी खसरा नंबर 149 / 1 रकबा 0.055 हेक्टेयर पूर्व की तरफ, प्रतिवादी संख्या 1 के आराजी खसरा नंबर 149 / 2 रकबा 0.55 हेक्टेयर, पश्चिम की तरफ, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हिस्से की आराजी खसरा नंबर 149 / 3 रकबा 0.55 हेक्टेयर बीच की भूमि है। पक्षकारान के बीच उनके पिता स्व0 भूरसिह द्वारा किए गए मौखिक बंटवारा के अनुसार काबिज हैं। परन्तु राजस्व रिकार्ड में अलग खाते में दर्ज नहीं है। आराजी खसरा नंबर 149 मौजा पिपल्या कला की प्रतिवादी सख्या 1 के नाम दर्ज है। जबकि यह सम्पत्ति भूरसिंह ने खरीद की, उस समय प्रतिवादी संख्या 1 नाबालिग 5 वर्ष का था। वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर वाद–पत्र में वर्णित उपरोक्त आराजीयात वाके लालास एवं वाके पिपल्या कला का बंटवारा किया जाकर अलग खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर इसी अनुसार कब्जा कराकर बंटवारा मुक्म्मील किये जाने एवं आराजी खसरा नंबर 149 वाके पिपल्या को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के खातेदारी की घोषित कराकर बंटवारा कर राजस्व रिकार्ड में अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त वाद–पत्र का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लालास में स्थित कृषि आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने तथा उसी अनुसार काबिज होने का तथ्य स्वीकार है। लेकिन ग्राम पिपल्या कला में स्थित आराजी खसरा नंबर 149 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है तथा उस पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी ने आराजी खसरा नंबर 149 जो मौजा पिपल्या कला में स्थित है, उसे स्व0 भूरसिंह द्वारा खरीदने एवं उस वक्त प्रतिवादी संख्या 1 के नाबालिग होने का तथ्य गलत एवं दुर्भावनापूर्वक अंकित किया है। वास्तविकता यह है कि जमीन प्रतिवादी संख्या 1 ने ही खरीद की है तथा उसी वक्त से उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 का ही कब्जा है और वही काश्त करता चला आ रहा है। अतः आराजी खसरा नंबर 149 का बंटवारा नहीं हो सकता तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया । प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने जबावदावा प्रस्तुत कर बंटवारा किए जाने का कथन किया।

दावे एवं जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई।

1– आया वाद–पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त खातेदारी की स्थित है। – वादी

2– आया ग्राम पिपल्या की आराजी खसरा नंबर 149 रकबा 1.65 हेक्टेयर वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की होने से खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी हैं। –वादी

3– आया वाद–पत्र की कलम संख्या 2 व 3 के अनुसार आराजीयात का बंटवारा कराया जाकर इसी अनुसार कब्जा करा मुकामिल बंटवारा कराने का वादी अधिकारी है। –वादी

4– सहायता

दावे, जवाबदावे एवं कायम की गई तनकीयात के आधार पर विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, गंगरार द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29–4–2002 द्वारा रेस्पोडेंट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम पिपल्या कला में स्थित आराजी खसरा नंबर 149 रकबा 0.55 हेक्टेयर भूमि को पैतृक आराजी मानते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण को प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्से के खातेदार घोषित किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–4–2002 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28–2–2003 द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर सहायक कलेक्टर, गंगरार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–4–2002 यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–2–2003 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत हैं। उनका कथन है कि मौजा लालास की आराजी खसरा नंबरान किता 23 कुल रकबा 9.77 हेक्टैयर भूमि का आपसी विभाजन के अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 1 के हक में आराजी नंबर 14 रकबा 3.41 हेक्टेयर तथा अपीलांट के हक में आराजी नंबर किता 8 रकबा 2.85 हेक्टेयर तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3 की सहमति से आराजी नंबर 14 रकबा 3.51 हेक्टेयर का बंटवारा किये जाने की अंतिम डिक्री प्रदान कर दीं। जबकि राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रत्येक खातेदार संयुक्त काश्तकार होकर

बराबर हक प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि वादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत फर्द बंटवारे में नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में सहायक कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज करने का आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है। उनका यह भी कथन है कि मौजा पिपल्या कला तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी खसरा नंबर 149 रकबा 1.65 हेक्टेयर, जिसके साबिक सेटलमेंट के अनुसार आराजी खसरा नंबर 19/8–9 एवं 20/9 नंबर बताये गए हैं, जो अपीलांट की स्वअर्जित सम्पति है, जो अपीलांट के नाम पर जरिये नामांतरकरण संख्या 11 दिनांक 15–7–1961 के द्वारा राजस्थान कृषि अधिनियम की धारा 19 के तहत् खातेदारी में दर्ज की गई है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त आराजी में अपीलांट के अलावा रेस्पोडेंट/वादी एवं प्रतिवादी का किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उनका कथन है कि रेस्पोडेंट/वादी ने कही यह प्रमाणित नहीं कराया है कि मौजा ग्राम पिपल्या कला की आराजी खसरा नंबर 149 रकबा 1.65 हेक्टेयर भूमि पक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति है, जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी बराबर हक रखते हैं। फिर भी अधीनस्थ सहायक कलेक्टर ने उक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए वाद–पत्र वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 को 1/3 के अनुसार घोषणात्मक प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जो पूर्णतया विधि विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य थी, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा यथावत रखे जाने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–2–2003 एवं सहायक कलेक्टर, गंगरार द्वारा पारित निर्णय को पैतृक सम्पत्ति मानकर जो प्रारंभिक डिक्री दिनांक 29–4–2002 जारी की गई है, उस सीमा तक निरस्त किये जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र खारिज किया जावे।

5– रेस्पोडेंट के योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका कथन है कि यदि अपीलाण्ट को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत खातेदारी मिली थी, तो उन्हें अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष दस्तावेज पेश किए जाने चाहिए थे जो उनके द्वारा नहीं किए गए । उक्त आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट की संयुक्त रूप से खरीद की है तथा उसी वक्त से उक्त आराजी पर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट्स का कब्जा है और वही काश्त करता चले आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अवधि बाधित माना था, जो सही है । विचारण न्यायालय में

रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद में अंतिम डिक्री जारी हो चुकी थी लेकिन उनके द्वारा प्रारंभिक डिक्री को चुनौती दी गई, जो विधिसम्मत नहीं है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

6— हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अपीलाण्ट व शेष रेस्पोडेण्ट्स के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 व 88 के तहत सहायक कलेक्टर, चित्तौडगढ़ के समक्ष ग्राम पिपल्या कला की आराजी नंबर 149 रकबा 1.65 हेक्टेयर लगानी 3.93 का मौखिक बंटवारा अनुसार वादी की आराजी नंबर 149/1 रकबा 0.55 हेक्टेयर लगानी 1.31 रू पूर्व की तरफ, प्रतिवादी नंबर 1 आराजी नंबर 149/2 रकबा 0.55 हेक्टेयर लगानी 1.31 पश्चिम की तरफ , प्रतिवादी नंबर 2 व 3 के हिस्से की आराजी नंबर 149/3 रकबा 0.55 हेक्टेयर लगानी 1.31 बीच की बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत किया । उक्त दावे का जबावदावा अपीलाण्ट/प्रतिवादी रधुनाथ सिंह द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेण्ट/वादी ने ग्राम पिपल्या कला की आराजी का मौखिक बंटवारा होना व उसी अनुसार काबिज होने का तथ्य गलत एवं दुर्भावनापूर्वक अंकित किया है जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त आराजी अपीलाण्ट की है एवं वही इस पर काबिज काश्त है। यह स्वयं द्वारा क्रय की गई है । इसलिए ग्राम पिपल्या कला की आराजी नंबर 149 अपीलाण्ट की है, इसलिए इस आराजी का बंटवारा नहीं हो सकता है । रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने भी जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पिपल्या कला की आराजी नंबर 149 रकबा 1.65 का मौखिक बंटवारा हो रखा है एवं इस आराजी में उनके हिस्से की आराजी नंबर 149/3 रकबा 0.55 दर्ज है एवं उक्त भूमि संयुक्त रूप से खरीदी गई थी । इसलिए आराजी का अलग—अलग बंटवारा कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे । सहायक कलेक्टर, गंगरार द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29—4—2002 द्वारा मौखिक बंटवारे अनुसार ग्राम पिपल्या कला की आराजी नंबर 149 का रकबा 1.65 हेक्टेयर में वादी का 1/3 हिस्सा 0.55 हेक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा रकबा 0.55 हेक्टेयर और प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/3 हिस्सा 0.55 हेक्टेयर घोषित किया जाकर प्रारंभिक डिक्री जारी की गई । मौजा लालास की आराजी का भी बंटवारा कर अंतिम डिक्री जारी की । उक्त निर्णय दिनांक 29—4—2002 के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपील अपीलीय न्यायालय के

समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28–2–2003 से खारिज कर दिया ।

8– पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से प्रकट होता है कि जमाबन्दी संवत 2052 से 2055 में ग्राम पिपल्या कला की आराजी नंबर 149 रकबा 1.65 हेक्टेयर किस्म बंजड पर अपीलाण्ट रघुनाथ सिंह पिता भूरसिंह राजपूत सा.0 लालस खातेदार दर्ज है जबकि जमाबन्दी संवत 2051–2054 एवं 2055 से 2058 में ग्राम लालास की विवादित आराजी पर गोरधन, रूगनाथसिंह, शम्भूसिंह पिता भूरसिंह राजपूत सा0 देह खातेदार दर्ज है । इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार ग्राम पिपल्या कला की आराजी 149 रकबा 1.65 हेक्टेयर पर अपीलाण्ट / प्रतिवादी अकेले का नाम दर्ज था, लेकिन रेस्पोडेण्ट / वादी द्वारा ग्राम लालास की भूमि के साथ ग्राम पीपल्या में स्थिति भूमि जो अकेले अपीलाण्ट के नाम थी, उसका भी विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत कर दिया । उपखण्ड अधिकारी ने रेकार्ड के विपरीत अपीलाण्ट की स्वअर्जित भूमि की घोषणा के साथ बंटवारा कर प्राथमिक डिक्री दिनांक 29–4–2002 जारी कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार, गंगरार से तलब किए । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भूमि संयुक्त परिवार की सिद्ध होने तथा विचारण न्यायालय के निर्णय को विधिसम्मत मानकर अपील को खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के मियाद के बिन्दु तथा गुणावगुण पर विवादित भूमि को संयुक्त खाते की माना जबकि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार ग्राम पिपल्या कला में स्थित भूमि खसरा नंबर 149 रकबा 1.65 रघुनाथसिंह के नाम दर्ज है । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा जमाबन्दी संवत 2052 से 2055 में भूमि खसरा नंबर 149 रकबा 1.65 पर रघुनाथसिंह के नाम दर्ज होना माना है लेकिन केवल मौखिक बयानों एवं गवाहों के आधार पर भूमि संयुक्त परिवार की होना मानकर निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि कारित की है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि सहायक कलेक्टर, गंगरार द्वारा निर्णय दिनांक 29–4–2002 में ग्राम पिपल्या कलां की आराजी खसरा नंबर 149 रकबा 1.65 में से वादी का हिस्सा 0.55 हेक्टेयर घोषित किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा ग्राम लालास की आराजी का बंटवारा वाद पत्र में अंकित कब्जे के अनुसार किया जाकर अंतिम डिक्री जारी की गई । विचारण न्यायालय को अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व तहसीलदार से राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के तहत विभाजन प्रस्ताव मंगाया जाना बाध्यकारी है, किन्तु उक्त प्रावधानों की

पालना किए बगैर अंतिम डिक्री जारी किया जाना विधिसम्मत नहीं है। हमारी सुविचारित राय में दस्तावेजों के परीक्षण के बाद राजस्व अभिलेख में दर्ज अंकन को दृष्टिगत रखते हुए उभय पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्तनीय है।

9— उक्त विवेचन के आधार पर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ़ का निर्णय दिनांक 28—2—2003 एवं सहायक कलेक्टर, गंगरार का निर्णय व डिक्री दिनांक 29—4—2002 निरस्त किया जाकर प्रकरण सहायक कलेक्टर, गंगरार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में ऊपर दिए गए प्रेक्षण (observation) के आधार पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें । उभय पक्षकारान सहायक कलेक्टर, गंगरार के समक्ष दिनांक 30—12—2024 को उपस्थित हों । अन्य कोई प्रार्थना—पत्र हों तो तदनुसार निर्णित किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) **(हेमन्त कुमार गेरा)**

सदस्य **अध्यक्ष**